

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 175/2025

डॉ. शंकर लाल बामनिया पुत्र श्री हरीश चंद्र, आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी 57, इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स ए, हिरण मगरी, सेक्टर 14. उदयपुर (राज.), वर्तमान में उदयपुर (राज.) में सी.एम.एच.ओ. के पद पर कार्यरत

-----अपीलार्थी

बनाम

- राजस्थान राज्य, जरिये प्रधान सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजकीय सचिवालय, जयपुर।
- प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रे.-2), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक (लोक स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।

-----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री बी.एस. संधू, अधिवक्ता
श्री एस.के. श्रीमाली, अधिवक्ता
श्री दिविक मथुर, अधिवक्ता
श्री मयंक राजपुरोहित, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के लिए : श्री एन.एस. राजपुरोहित, ए.ए.जी.
के साथ सुश्री अनिता राजपुरोहित, अधिवक्ता
श्री शेर सिंह राठौड़, अधिवक्ता

माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्रीमान् मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् मुन्नुरी लक्ष्मण

रिपोर्ट योग्य

निर्णय

निर्णय सुरक्षित किया गया : 26/03/2025

निर्णय सुनाया गया : 09/04/2025

[माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् मुन्नुरी लक्ष्मण द्वारा] :

- 1) वर्तमान विशेष अपील, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायधीश द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 697/2025 में पारित आदेश दिनांकित 13.01.2025 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा दिनांक 07.01.2025 के स्थानांतरण आदेश को अभिखंडित करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था।
- 2) उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर, रिट याचिका के याचिकाकर्ता ने यह विशेष अपील प्रस्तुत की है।
- 3) तथ्यों की पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को 17.03.2005 को चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और इसके पश्चात उसे 11.07.2011 को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया तथा तत्पश्चात 12.07.2018 को उसे उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सी.एम. & एच.ओ.) के पद के समकक्ष है। अपीलार्थी को 03.08.2022 को उदयपुर में सी.एम. & एच.ओ. के रूप में पदस्थ किया गया था और आक्षेपित स्थानांतरण आदेश की तिथि तक वह उदयपुर में सी.एम. & एच.ओ. के रूप में कार्यरत था।

4) अपीलार्थी की शिकायत यह है कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश कलंक से ग्रसित है, और इसके अतिरिक्त स्थानांतरण सीएम एंड एचओ/उप निदेशक के पद से उप नियंत्रक के पद पर किया गया है, जो कि पंक्ति में निम्नतर है। याचिकाकर्ता को सीएम एंड एचओ, उदयपुर के पद से उप नियंत्रक, जिला अस्पताल प्रतापगढ़ के पद पर स्थानांतरित किया गया था। इस स्थानांतरण को दो मुख्य आधारों पर चुनौती दी गई: (i) स्थानांतरण आदेश में जैसा कि दावा किया गया है, वैसी कोई प्रशासनिक अत्यावश्यकता नहीं है, क्योंकि शिकायतों का पहले ही न्यायनिर्णयन किया जा चुका था और याचिकाकर्ता को ऐसी शिकायतों से विमुक्त कर दिया गया था। अतः उक्त स्थानांतरण कलंक से ग्रसित है; और (ii) याचिकाकर्ता का सीएम एंड एचओ के पद से उप नियंत्रक, जिला अस्पताल प्रतापगढ़ के पद पर स्थानांतरण, उस संवर्ग में अवनति का गठन करता है, जिसे याचिकाकर्ता पहले से धारण किए हुए था।

5) प्रत्यर्थीगण द्वारा बताया गया मामला यह है कि स्थानांतरण अपीलार्थी के विरुद्ध प्राप्त विभिन्न शिकायतों के कारण किया गया था और उन शिकायतों के संबंध में लंबित जाँच पर किसी भी प्रकार के प्रभाव से बचने के लिए, उसे उप नियंत्रक, जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ के पद पर स्थानांतरित किया गया था। उनके अनुसार, ऐसा स्थानांतरण किसी भी कलंक से ग्रसित नहीं है। प्रत्यर्थीगण की अन्य दलील यह है कि उप निदेशक, सीएम एंड एचओ और उप नियंत्रक के पद समकक्ष पद हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता की यह दलील कि उप नियंत्रक का पद उस पद से निम्नतर है जिसे वह धारण कर रहा था, गलत है।

6) माननीय एकल न्यायाधीश ने, प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र और नियमों पर विचार करने के पश्चात्, पाया कि उप-नियंत्रक का पद

उप-निदेशक/सीएम एंड एचओ के पद के समकक्ष है तथा स्थानांतरण आदेश के परिणामस्वरूप पद की पंक्ति में कोई अवनति नहीं हुई है। फलस्वरूप, रिट याचिका खारिज की गई थी, अतः यह विशेष अपील प्रस्तुत है।

7) उभयपक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

8) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की प्राथमिक दलील यह है कि स्थानांतरण आदेश दुर्भावना से ग्रसित है और कोई भी प्रशासनिक अत्यावश्यकता नहीं थी। स्थानांतरण के लिए बताए गए कारण इस पृष्ठभूमि पर आधारित थे कि शिकायतें अभी भी लंबित थीं। वास्तव में, ऐसी अधिकांश शिकायतें प्रारम्भिक जांचों के आधार पर पहले ही बंद कर दी गई हैं। ये शिकायतें उनके अधीन कार्यरत व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराई गई थीं और ये प्रेरित थीं, क्योंकि इन्हें उन व्यक्तियों के विरुद्ध उनके कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए अपीलार्थी द्वारा की गई आनुशासनिक कार्रवाइयों के प्रतिशोध में दायर की गई थी। इनमें से अधिकांश शिकायतें बंद भी कर दी गई हैं। अतः स्थानांतरण आदेश कलंक से ग्रसित है और इसमें हस्तक्षेप किए जाने योग्य है।

9) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्चीगण द्वारा प्रस्तुत असंशोधित सेवा नियमों पर निर्भर रहे, जो यह उपदर्शित करते हैं कि उप नियंत्रक का पद उप निदेशक/सीएम एंड एचओ के समकक्ष पद है। हालांकि, संशोधन के बाद, अस्पताल के उप नियंत्रक का पद अब समकक्ष पद नहीं रहा और वास्तव में, ऐसा पद अब राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 (इसमें इसके पश्चात् 'नियम 1963' के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा विनियमित संवर्ग पद नहीं रहा।

10) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी का एक संवर्ग पद से गैर-संवर्ग पद पर स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति के समान होगा, जिसके लिए अपीलार्थी की सहमति की आवश्यकता होती है, जो कि वर्तमान मामले में मौजूद नहीं है। यह स्थानान्तरण इस आधार पर किया गया था कि उप नियंत्रक का पद उप निदेशक/सीएम एंड एचओ के पद के समकक्ष है और यह 1963 के नियमों के उपबंधों के अंतर्गत विद्यमान एक संवर्ग पद है। अतः, वह विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त करने और रिट याचिका को अनुज्ञात करने की मांग करता है।

11) इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कई शिकायतें हैं और उन शिकायतों के संबंध में जांचें अनुध्यात थीं। ऐसी जाँचों पर किसी भी प्रकार के प्रभाव से बचने के लिये, याचिकाकर्ता को उनके वर्तमान पद से उप नियंत्रक, प्रतापगढ़ अस्पताल के पद पर स्थानान्तरित किया गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा स्थानान्तरण कलंकयुक्त नहीं है और इस स्थानान्तरण के पीछे के कारण वैध प्रशासनिक आधारों पर आधारित हैं; अतएव, इस स्थानान्तरण में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

12) विद्वान एएजी ने यह भी प्रस्तुत किया कि उप नियंत्रक का पद, उप निदेशक/सीएम एंड एचओ के पद के समकक्ष है, जैसा कि संशोधित नियमों से पूर्व, अर्थात् 03.01.2012 से पहले की विद्यमान स्थिति से स्पष्ट है। विद्वान एएजी ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने ऐसे पद की समतुल्यता पर उचित विचार किया है और रिट याचिका को उचित रूप से खारिज कर दिया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13) हमने उभय पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

14) प्रथम दलील से निपटते हुए, अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध कई शिकायतें हैं और अधिकांश शिकायतकर्ताओं की प्रारंभिक जाँच की गई थी और उन्हें प्रेरित शिकायतें पाया गया था और वे वास्तविक शिकायतें नहीं थीं। वे कुछ व्यक्ति जिनकी शिकायतों की प्रारंभिक जाँच की गई थी और जिन्हें बंद कर दिया गया था, उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी शिकायतें दर्ज कराई हैं और ऐसी शिकायतें अभी भी लंबित हैं। एक मामले में, अपीलार्थी और एक अन्य अधिकारी के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश जारी किए गए थे। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, हमारा मत है कि यह नहीं कहा जा सकता कि स्थानांतरण के लिए कोई प्रशासनिक अत्यावश्यकता विद्यमान नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश शिकायतें बंद कर दी गई थीं और कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो अभी भी जाँच के अधीन हैं। इसलिए, मामले की तथ्यों और परिस्थितियों में, स्थानांतरण आदेश को दंडात्मक या कलंकपूर्ण प्रकृति का नहीं कहा जा सकता है।

15) द्वितीय दलील से निपटते हुए, याचिकाकर्ता की सेवा शर्तें 1963 के नियमों द्वारा विनियमित होती हैं। इन नियमों में कई संशोधन किए गए। अंतिम संशोधन 03.01.2012 को किया गया था। आज के समय में उप निदेशक/सीएम एंड एचओ और समकक्ष पद से संबंधित जो नियम अस्तित्व में हैं, उन्हें अनुसूची-1 के क्रम संख्या 5 पर निर्दिष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है:-

अनुसूची-I

पद का नाम	भर्ती की पद्धति प्रतिशत सहित	जिस पद से पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए योग्यता एवं अनुभव	सीधी भर्ती के लिए योग्यता एवं अनुभव	टिप्पणियाँ
5.उप-निदेशक/सीएम एंड एचओ और समकक्ष पद	100% पदोन्नति द्वारा (80% एसएमओ से एवं 20% उप. सीएम एंड एचओ से)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/डिप्टी सीएम एंड एचओ	ग्रेड पे रु.6600/- में 6 वर्षों की सेवा होनी चाहिए या कॉलम 3 में उल्लिखित समकक्ष वर्तमान वेतनमान/पद में	-	-

16) दिनांक 03.01.2012 के संशोधन से पूर्व विद्यमान इसी तरह की स्थिति से निपटने वाले नियम को उप निदेशक/सीएम एंड एचओ और अन्य पदों के संबंध में क्रम संख्या 16 पर निर्दिष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है:-

अनुसूची-I

पद का नाम	भर्ती की पद्धति प्रतिशत सहित	यदि पदोन्नति द्वारा हो तो किस पद से पद बनाया जाएगा	पदोन्नति के लिए योग्यता एवं अनुभव	सीधी भर्ती के लिए योग्यता एवं अनुभव	टिप्पणियाँ
6.उप	100%	वरिष्ठ चिकित्सा	स्तंभ संख्या	-	मुख्य

निदेशक/	पदोन्नति द्वारा	अधिकारी/ उप	3 में	चिकित्सा एवं
मुख्य		मुख्य चिकित्सा	उल्लिखित	स्वास्थ्य
चिकित्सा		एवं स्वास्थ्य	पद पर 5	अधिकारी/
एवं		अधिकारी	वर्षों की सेवा	सहायक
स्वास्थ्य		(परिवार	होना	निदेशक
अधिकारी/		कल्याण	अनिवार्य है	स्वास्थ्य
अतिरिक्त		/स्वास्थ्य/मले		सेवाएँ/
मुख्य		रिया)		सहायक
चिकित्सा				निदेशक
एवं				स्वास्थ्य
स्वास्थ्य				सेवाएँ
अधिकारी/				(योजना)/
अस्पतालों				सहायक
के उप				निदेशक
नियंत्रक				स्वास्थ्य
(जिला/मो				सेवाएँ
बाइल				(चिकित्सा)/
सर्जिकल				उप मुख्य
यूनिट/कर्म				चिकित्सा एवं
चारी राज्य				स्वास्थ्य
बीमा)				अधिकारी
				(परिवार
				कल्याण)
				प्रिंसिपल,
				क्षेत्रीय परिवार
				नियोजन
				प्रशिक्षण केंद्र
				या समकक्ष
				पद के रूप में
				प्रदत्त सेवा
				इस संशोधन

से पूर्व सिविल
असिस्टेंट
सर्जन
(चयनित ग्रेड)
को स्तंभ
संख्या 3 में
उल्लिखित
पद पर प्रदत्त
सेवा माना
जाएगा

17) अपीलार्थी द्वारा धारित पद से संबंधित संशोधित एवं असंशोधित नियमों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि संशोधन से पूर्व अस्पतालों के उप नियंत्रक का एक संवर्ग पद था और उप निदेशक, सीएम एंड एचओ, अतिरिक्त सीएम एंड एचओ, अस्पतालों के उप नियंत्रक, उप अधीक्षक तथा प्रधान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र के पदों को समकक्ष पद माना जाता था। संशोधन के बाद, अस्पतालों के उप नियंत्रक का पद अनुसूची-1 में सूचीबद्ध संवर्ग सूची में अब नहीं मिलता। उप निदेशक/सीएम एंड एचओ और समकक्ष पद उल्लिखित थे और अस्पतालों के उप नियंत्रक/उप अधीक्षक/प्रधान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र के पदों के संदर्भ में कोई समकक्षता नहीं है। ऐसे संशोधन के अतिरिक्त, संयुक्त निदेशक के पद को अतिरिक्त निदेशक के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीगण ने असंशोधित नियमों के साथ एक शपथ-पत्र दायर किया था, जिसके कारण विद्वान एकल न्यायाधीश ने उस अस्पतालों के उप नियंत्रक के पद को, जिस पद पर अपीलार्थी को सीएम एंड एचओ, उदयपुर के पद से स्थानांतरित किया गया था, को समकक्ष पद माना।

18) प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान एएजी इस न्यायालय के संज्ञान में यह लाने में विफल रहे कि जिस पद पर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया था वह अभी भी 1963 के नियमों के अंतर्गत एक संवर्ग पद है और ऐसा पद उस पद के समकक्ष है जो याचिकाकर्ता धारण कर रहे थे। इसका अर्थ है कि अपीलार्थी का सीएम एंड एचओ के पद से उप नियंत्रक के पद पर स्थानांतरण पंक्ति में अवनति के समान है और प्रतिनियुक्ति के समान भी माना जाता है।

19) 'प्रतिनियुक्ति' को विनियमित करने वाले सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उमापति चौधरी विरुद्ध बिहार राज्य** के मामले में स्पष्ट रूप से विनिश्चित किया है, जो (1999) 4 एससीसी 659 में रिपोर्ट किया गया है, और जिसे नीचे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

“8. प्रतिनियुक्ति को उपयुक्त रूप से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि यह एक कर्मचारी की नियुक्ति (सामान्यतया प्रतिनियुक्त व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट) जो एक विभाग या संवर्ग या यहाँ तक कि एक संगठन (सामान्यतया मूल विभाग या उधार देने वाले प्राधिकार के रूप में निर्दिष्ट) से दूसरे विभाग या संवर्ग या संगठन (सामान्यतया उधार लेने वाले प्राधिकार के रूप में निर्दिष्ट)। प्रतिनियुक्ति पर भेजने की आवश्यकता लोक हित में उत्पन्न होती है ताकि लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं को पूरा किया जा सके। प्रतिनियुक्ति की अवधारणा सहमतिजन्य होती है और इसमें नियोक्ता का एक स्वैच्छिक निर्णय शामिल होता है कि वह अपने कर्मचारी की सेवाएँ उधार दे और उधार लेने वाला नियोक्ता उन सेवाओं को समकक्ष रूप से स्वीकार करे। इसमें प्रतिनियुक्ति पर जाने या न जाने के लिए कर्मचारी की सहमति भी शामिल है। वर्तमान मामले में तीनों शर्तें पूरी हुईं...”

20) माननीय उच्चतम न्यायालय को भी प्रसार भारती बनाम अमरजीत सिंह के मामले में, जो (2007) 9 एस.सी.सी. 539 में रिपोर्ट किया गया है, 'स्थानांतरण' और 'प्रतिनियुक्ति' के मध्य भेद करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिसका सुसंगत अंश निम्नानुसार है:

13. 'स्थानांतरण' और 'प्रतिनियुक्ति' के बीच विभेद मौजूद है। 'प्रतिनियुक्ति' उस सेवा को इंगित करती है जो संवर्ग के बाहर या उस मूल विभाग के बाहर होती है जिसमें कर्मचारी सेवारत है। 'स्थानांतरण', तथापि, समान संवर्ग और समान विभाग के भीतर समकक्ष पद तक सीमित है। जबकि प्रतिनियुक्ति एक अस्थायी परिघटना होगी, स्थानांतरण इसके विपरीत है और इसके विपरीत उपदर्शन प्रदर्शित करने चाहिए...."

21) उपरोक्त निर्णयों की गहन जाँच स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि 'स्थानांतरण' समान संवर्ग और समान विभाग के भीतर समकक्ष पदों तक सीमित है, जबकि 'प्रतिनियुक्ति' उस सेवा को निर्दिष्ट करती है जो संवर्ग के बाहर या उस मूल विभाग के बाहर होती है जिसमें एक कर्मचारी सेवारत है और यह एक अस्थायी परिघटना है। प्रतिनियुक्ति की अवधारणा नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी की सेवाओं को उधार देने के लिए एक सहमतिजन्य और स्वैच्छिक निर्णय शामिल करती है, साथ ही उधार लेने वाले नियोक्ता द्वारा ऐसी सेवाओं की संबंधित स्वीकृति भी आवश्यक है। इसके अलावा, प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए कर्मचारी की सहमति भी आवश्यक है।

22) इस वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थीगण यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि उप नियंत्रक का पद 1963 के नियमों के तहत संवर्ग पद है। यह मौजूदा नियमों में संशोधन से पूर्व संवर्ग पद था, जो वर्ष 2012 में हुआ था। नियमों ने स्पष्ट रूप से अस्पतालों के उप नियंत्रक के मौजूदा संवर्ग पद को हटा दिया है, और यह अब 1963 के सेवा नियमों के अंतर्गत विनियमित संवर्ग

पद नहीं रहा। अतः, याचिकाकर्ता का मौजूदा सीएम एंड एचओ के पद से अस्पतालों के उप नियंत्रक के पद पर स्थानांतरण स्पष्ट रूप से प्रतिनियुक्ति के समान है। किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए कर्मचारी की सहमति एक अनिवार्य शर्त है, जो कि वर्तमान मामले में अनुपस्थित है। इसलिए, केवल इस आधार पर स्थानांतरण आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए।

23) प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान एएजी हमारे संज्ञान में यह लाने में विफल रहे कि उप नियंत्रक का पद, उप निदेशक/सीएम एंड एचओ के पद के अभी भी समकक्ष है, जिससे यह माना जा सके कि स्थानांतरण से अपीलार्थी की सेवा शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थानांतरण संबंधी मामलों में इस न्यायालय की परिधि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस (श्रीमती) एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में, जो एआईआर 1991 एससी 532 में रिपोर्ट किया गया है, स्पष्ट रूप से अधिकथित है, जिसका सुसंगत अंश निम्नानुसार है:

"4. हमारी राय में, न्यायालयों को ऐसे स्थानांतरण आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो लोक हित और प्रशासनिक कारणों से किए गए हों जब तक कि स्थानांतरण आदेश किसी अनिवार्य वैधानिक नियम के उल्लंघन में न किए गए हों या दुर्भावना के आधार पर न हों। कोई भी सरकारी सेवक जो स्थानांतरणीय पद धारण करता है, किसी एक स्थान पर बने रहने का कोई स्थायी अधिकार नहीं रखता, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जाने के अधीन है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश उसके किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं करते। यहाँ तक कि यदि स्थानांतरण आदेश कार्यकारी अनुदेशों या आदेशों के उल्लंघन में पारित किया गया हो, तो सामान्यतः न्यायालयों को उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए; इसके बजाय प्रभावित पक्ष को विभाग के उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहिए। यदि

न्यायालय सरकार और उसकी अधीनस्थ प्राधिकरणों द्वारा जारी दैनिक स्थानांतरण आदेशों में लगातार हस्तक्षेप करते रहे, तो प्रशासन में पूर्ण अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी जो लोक हित के अनुकूल नहीं होगी। उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण आदेशों में हस्तक्षेप करते हुए इन पहलुओं की अनदेखी की।”

24) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, **एन.के. सिंह विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य**, जो (1994) 6 एससीसी 1998 में रिपोर्ट किया गया है, में यह दोहराया कि एक सरकारी सेवक के वृत्ति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे एक समकक्ष पद पर स्थानांतरित करने के मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा बहुत सीमित है, जो केवल दुर्भावना या किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के उल्लंघन के आधार तक ही सीमित है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी का सीएम एंड एचओ के पद से उप नियंत्रक के पद पर स्थानांतरण का आदेश स्पष्ट रूप से अपीलार्थी की सेवा शर्तों या वृत्ति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि ऐसा स्थानांतरण उच्च पद से निम्न पद पर स्थानांतरित होने के समान है।

25) इसके अतिरिक्त, सेवा नियमों के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति की अवधारणा कर्मचारी की सहमति की अपेक्षा रखती है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता का सीएम एंड एचओ के पद से उप नियंत्रक के पद पर स्थानांतरण, जो एक गैर-संवर्ग पद है, प्रतिनियुक्ति के समान है और ऐसा स्थानांतरण याचिकाकर्ता की सहमति के बिना किया गया था। अतः, अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप के लिए आधार स्थापित कर लिये हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश को प्रत्यर्थीगण द्वारा असंशोधित नियम प्रस्तुत करके भ्रमित किया गया। यदि संशोधित नियमों को विद्वान एकल न्यायाधीश के

संज्ञान में लाया गया होता, तो वर्तमान आक्षेपित आदेश पारित नहीं किया जाता। अतः, अपील और रिट याचिका को अनुज्ञात किया जाना चाहिए।

26) परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील अनुज्ञात की जाती है। एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 697/2025 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 13.01.2025 को पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। तदनुसार अपीलार्थी की रिट याचिका को अनुज्ञात किया जाता है। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को सीएम एंड एचओ, उदयपुर के पद पर पुनः पदस्थापित करें तथा याचिकाकर्ता को सभी मौद्रिक लाभ इस प्रकार प्रदान करें, यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता अभी भी सीएम एंड एचओ, उदयपुर के पद पर कार्यरत है। करें।

27) इन परिस्थितियों में, खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

28) लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित किए जाते हैं।

(मुन्नुरी लक्ष्मण),जे

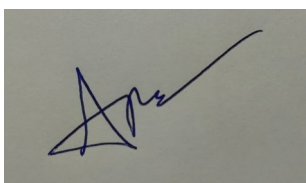
(मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव),सीजे

एनके/-

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उसकी भाषा में कर सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारीक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

[2025:आरजे-जेडी:17186-डीबी]

[एसएडब्ल्यू-175/2025]

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of loops and a long, sweeping horizontal stroke.

आदित्यप्रताप सिंह निरवान